

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

जापांक 53/4/81
ग्रा0वि0-6-बजट/05-09/2025

पटना, दिनांक 12/03/2026

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-42 के तहत NRLM अंतर्गत MKSP योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मद में कुल बजट उपबंध रू0 1000.00 लाख (दस करोड़) में से विमुक्त केन्द्रांश की राशि रू0 150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।

आदेश :- स्वीकृत ।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन बढ़ाना एवं विस्तार करना, वित्तीय समावेशन, रोजगार पाने योग्य कुशल बनाना तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देना एवं आजीविका संवर्द्धन से जोड़ने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से चलाई जा रही है ।

2. बिहार राज्य में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2021-22 तक NRLM (एन0आर0एल0एम0) केन्द्र प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन State Perspective and Implementation Plan (SPIP) के अनुरूप किया गया है । वित्तीय वर्ष- 2014-15 से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के पुनर्गठन के पश्चात केन्द्र प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश व राज्यांश की राशि का व्यय सहायक अनुदान मद में ही निर्धारित है । स्कीम पर होने वाले व्यय भार का वहन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिनांक-01.04.2015 से क्रमशः 60:40 के अनुपात में किया जाता है । ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-J-11014/01/2020-RL (FMS-371340) दिनांक-31.03.2022 द्वारा "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" (DAY-NRLM) को मार्च,2021 से मार्च,2026 तक कतिपय संशोधन सहित जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प सं0-1264453 दिनांक-26.09.2022 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देश एवं समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" (DAY-NRLM) के क्रियान्वयन को जारी रखने एवं कुल संभावित व्यय रू0 15326.68 करोड़ (पन्द्रह हजार तीन सौ छब्बीस करोड़ अड़सठ लाख) की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

3. NRLM (एन0आर0एल0एम0) अंतर्गत MKSP स्कीम के केन्द्रांश मद के सामान्य मद, अनुसूचित जाति मद एवं अनुसूचित जनजाति मद के लिए वित्तीय वर्ष 2025-256 में कुल रू0 1000.00 लाख (दस करोड़) का कुल संशोधित बजट उपबंध किया गया है । वित्त विभागीय पत्रांक-235 दिनांक-01.04.2025 द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश एवं राज्यांश मद) में चौमही प्रतिशत बंधेज को बजट प्रावधानित राशि का शत-प्रतिशत तक शिथिल करते हुए नियमानुसार व्यय करने हेतु निदेशित किया गया है ।

4. वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-K-11011/12/2023-24/MKSP/AAP/IFC/Bihar दिनांक-03.02.2026 द्वारा MKSP योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मद में क्रमशः राशि रू0 122.19 लाख, रू0 25.41 लाख एवं रू0 2.40 लाख अर्थात् कुल राशि रू0 150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख) विमुक्त किया गया है। इस प्रकार MKSP योजनान्तर्गत कुल विमुक्त केन्द्रांश की राशि रू0 150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख) का आवंटन किया जाना है।

5. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष-2025-26 में NRLM (एन0आर0एल0एम0) अन्तर्गत MKSP के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश के सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मद में बजट उपबंध के अधीन निम्नवत राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रू0 में)		
क्र0सं0	मद एवं विपत्र कोड (विषय शीर्ष सहित)	केन्द्रांश
1	2	3
1	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष- 0207 महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एम.के.एस.पी.) (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42- 2501061010207 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (सामान्य मद)	122.19
2	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष- 0206 महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एम.के.एस.पी.) (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42- 2501067890206 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (अनुसूचित जाति मद)	25.41
3	मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष- 0206 महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एम.के.एस.पी.) (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड 42- 2501067960206 विस्तृत शीर्ष- 31 सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06- गैर वेतन (अनुसूचित जनजाति मद)	2.40
कुल :-		150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख)

6. NRLM (एन0आर0एल0एम0) अंतर्गत MKSP केन्द्रांश मद में कुल स्वीकृत राशि रू0 150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख) की निकासी विभागीय माँग सं0-42 के अंतर्गत उपरोक्त सारणी के कॉलम-2 में अंकित बजट शीर्षों के अंतर्गत की जायेगी।

7. स्वीकृत राशि केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत चालू स्कीम पर व्यय की जानी है, फलस्वरूप वित्त विभाग के पत्रांक- एम04-53/2007-3758 दिनांक-31.05.2017 में निहित प्रावधान के

आलोक में बजट उपबंधित राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम है ।

8. (i) स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

(ii) अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना स्वीकृत राशि की निकासी कर MKSP के State Nodal Account (SNA) Bihar Rural Livelihoods Promotion Society, BRLPS-MKSP, Canara Bank, Account No-8531101011339, IFSC Code-CNRB0008531, S E BOARD PREMISES, Bailey Road, Patna-800001 में जमा कर देंगे । मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक, बी०आर०एल०पी०एस०, विद्युत भवन, पटना इस राशि की निकासी कर व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार, नई दिल्ली, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं इस विभाग को उपलब्ध कराएँगे।


9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राशि व्यय की जायेगी ।

10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक-05.10.2007 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

11. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका सं०- ग्रा०वि०-6-बजट/05-09/2025 के पृष्ठ- 07 /टि० पर दिनांक- 09/03/2026 को प्राप्त है ।

12. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- ग्रा०वि०-6-बजट/05-09/2025 के पृष्ठ- 07 /टि० पर दिनांक- 20/02/2026 को प्राप्त है ।

विश्वासभाजन



(रवि कुमार)


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 53/4/81

पटना,

दिनांक 12/03/2026

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के संयुक्त सचिव


ज्ञापांक 53/4/81

पटना,

दिनांक 12/03/2026


प्रतिलिपि- राजेश्वरी एस.एम, निदेशक (RL), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, सातवाँ तल्ला, NDCC बिल्डिंग-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना / अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /लेखा शाखा/ आई०टी०मैनेजर को

(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 53/4/81 पटना, दिनांक 12/03/2026

प्रतिलिपि- आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के वरीय प्रधान आप्त सचिव/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव